मेरठ विकास प्राधिकरण

की

58वीं बोर्ड बैठक

दिनाँक 21-12-98

का

कार्यवृत्त

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बैठक दिनाँक 21-12-98

समय : 10-00 बजे प्रात:

स्थान : आयुक्त सभाकक्ष

उपस्थिति :

1-	श्री एन०ए०विश्वनाथन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ ।	अध्यक्ष
2-	श्री जितेन्द्र बिष्णु	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री अनिल शर्मा	मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, मेरठ ।	सदस्य
4-	श्री रणजीत सिंह पंकज	अपर निदेशक, उद्योग, मेरठ ।	सदस्य
5-	श्री हाजी निजामुददीन	सभासद	सदस्य
6-	श्रीमती राखी त्यागी	सभासद	सदस्य
7-	श्री एस०के०जमान	सहयुक्त नियोजक (प्रतिनिधि- आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) गाजियाबाद ।	सदस्य
8-	श्री वी०के०गुप्ता	सहयुक्त नियोजक (प्रतिनिधि- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ ।)	सदस्य

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ की बोर्ड बैठक दिनाँक 21-12-98 का कार्यवृत्त।

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 21-12-98 को आयुक्त सभागार, मेरठ में आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ की अध्यक्षता में प्रात: 10-30 बजे प्रारम्भ हुई। सर्वप्रथम उपाध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण बोर्ड के अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया। बैठक में निम्न अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

1-	श्री एन०ए०विश्वनाथन	आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ।	अध्यक्ष
2-	श्री जितेन्द्र बिष्णु	उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, मेरठ।	उपाध्यक्ष
3-	श्री अनिल शर्मा	मुख्य नगर अधिकारी नगर निगम, मेरठ।	सदस्य
4-	श्री रणजीत सिंह पंकज	अपर निदेशक, उद्योग, मेरठ।	सदस्य
5-	श्री हाजी निजामुददीन	सभासद	सदस्य
6-	श्रीमती राखी त्यागी	सभासद	सदस्य
7-	श्री एस०के०जमान	सहयुक्त नियोजक (प्रतिनिधि- आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) गाजियाबाद।	सदस्य
8-	श्री वी०के०गुप्ता	सहयुक्त नियोजक (प्रतिनिधि- मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ।)	सदस्य

मद संख्या - 1

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 27-9-98 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

कार्यवृत्त दिनाँक 27-8-98 की पुष्टि की गयी।

मद संख्या - 2

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 30-3-98 एवं 27-8-98 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।

अनुपालन मद संख्या - 1 (बोर्ड बैठक दिनाँक 30-3-98)

चिल्ड्रन पार्क का निर्माण।

अवलोकित किया गया।

अनुपालन मद संख्या - 3 (बोर्ड बैठक दिनाँक 30-3-98)

मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनाँक 17-9-97 में पारित विभिन्न प्रस्तावों की अनुपालन आख्या।

जे०सी०बी० मशीन क्रय के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही को अवलोकित किया गया।

यू०पी०एस०आई०डी०सी० द्वारा विकसित क्षेत्र में बाहय विकास शुल्क भारित किये जाने के सम्बन्ध में अपेक्षा की गयी कि दिनाँक 22-2-98 को पूर्व निर्धारित बैठक में उपाध्यक्ष महोदय क्षेत्र के उद्यमियों, यू०पी०एस०आई०डी०सी० के क्षेत्रीय प्रबन्ध व अपर निदेशक उद्योग के साथ समीक्षा कर लें और निर्णय से आगामी बोर्ड बैठक में अवगत कराया जाये।

अनुपालन मद संख्या - 3 (बोर्ड बैठक दिनाँक 30-3-98)

मेरठ बाईपास रोड के किनारे अवैध निर्माणों पर कार्यवाही।

अवलोकित किया गया।

अनुपालन मद संख्या - 23 (बोर्ड बैठक दिनाँक 30-3-98)

मोहकमपुर औद्योगिक क्षेत्र में कम्युनिटी सेन्टर के निर्माण हेतु प्रस्तुत मानचित्र संख्या 300/97 के अन्तर्गत सुदृढीकरण शुल्क, मलवा शुल्क एवं मानचित्र शुल्क में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

अवलोकित किया गया।

अनुपालन अनुपूरक मद संख्या - 2 (बोर्ड बैठक दिनाँक 30-3-98)

वैशाली कालोनी में नजूल भूमि से प्रभावित भूमि को छोडकर अन्य भूखण्डों के मानचित्र की स्वीकृति प्रदान किये जाने एवं शमन किये जाने के सम्बन्ध में।

अवलोकित किया गया।

अनुपालन विशेष अतिरिक्त मद (बोर्ड बैठक दिनाँक 30-3-98)

बच्चा पार्क के सौन्दर्यीकरण के बिषय में माननीय न्यायालय के निर्णय के उपरान्त कार्यवाही की जाये तदनुसार स्थगन आदेश को निरस्त कराने के लिये न्यायालय में पैरवी की जाये।

हापुड स्टेन्ड, ईब्ज चौराहा व बागपत चौराहे के सौन्दर्यीकरण की योजना का विस्तृत प्रारुप अगली बोर्ड बैठक में रखा जाये।

थापर नगर नाले को पाटकर सडक बनाये जाने के बिषय में अधिकांश सदस्यों ने असहमति व्यक्त की । थापर नगर नाले को कुछ दूरी तक खुला रखते हुए उसके कुछ भाग पर फलाई ओवर के जरिये सडक निर्माण की सम्भावनाओं पर नगर निगम एवं मेरठ विकास प्राधिकरण दोनों मिलकर सर्वेक्षण रिर्पोट एवं योजना अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करें।

अनुपालन मद संख्या - 3

प्राधिकरण की "डा० राम मनोहर लोहिया नगर" आवासीय योजना के अन्तर्गत सैक्टर "आई" में 17.07 हैक्टेयर तथा सैक्टर - डी में 19.62 हैक्टेयर भूमि पर भूखण्डीय विकास के भूविन्यास अनुमोदन के सम्बन्ध में।

बोर्ड ने मत व्यक्त किया कि स्कूल, कालेज, चिकित्सा सुविधा के लिये निःशुल्क भूमि दिये जाने का कोई प्राविधान न होने के कारण इस पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं हैं।

गंगानगर योजना में डिग्री कालेज के लिये भूखण्ड की उपलब्धता को अवलोकित किया गया।

लोहिया नगर में ३० मीटर चौडे मार्ग के समीप उसके कुछ भूभाग पर धर्मिक स्थल का निर्माण हो गया है उसको स्थानान्तरित किये जाने की नगण्य सम्भावना से बोर्ड ने सहमति व्यक्त की। मुख्य अभियन्ता, प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि धार्मिक स्थल से उक्त मार्ग में कोई विशेष अवरोध नहीं हुआ है।

अनुपालन मद संख्या - 4

शताब्दी नगर आवासीय योजना के सैक्टर - 1 में लगभग 42815 वर्गमीटर भूमि का भूउपयोग मेरठ महायोजना-2001 में "पार्क एवं खुले स्थल/ वन" से "आवासीय" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृत कार्यवाही से अगली बोर्ड बैठक में अवगत कराया जाये।

अनुपालन मद संख्या - 5

मेजर ध्यान चन्द्र नगर (स्पोर्टस गुडस काम्पलैक्स) योजनान्तर्गत आल इण्डिया स्पोर्टस गुडस फैडरेशन से सम्बन्धित उद्यमियों को आबंटित भूखण्डों के विवादों के निस्तारण हेतु चौकीदारा शुल्क न लिये जाने एवं किश्तों की अदायगी में समय प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

अवलोकित किया।

अनुपालन मद संख्या - 6

प्राधिकरण की अलोकप्रिय सम्पत्तियों का निस्तारण शासनादेश दिनाँक 4 मई, 98 के प्रकाश में मूल - मूल्यांकन पद्धति से किया जाये।

बोर्ड के निर्णयानुसार मूल - मूल्यांकन पद्धति से अलोकप्रिय सम्पत्तियों के विक्रय की स्थिति पर बोर्ड ने असन्तोष व्यक्त किया गया। इसके लिये निर्देश

दिये गये कि विक्रय की गति तेज की जाये और अवैध कालोनियों के आवासन पर पाबन्दी लगाने के लिये जहाँ एक ओर प्रभावी कार्यवाही करें वहीं दूसरी ओर जो लोग जानकारी के अभाव में उन कालोनियों में बसने के लिये आकर्षित हो रहे हैं उनको प्राधिकरण के नियमों की, अवैध कालोनियों में बसने के कुपरिणामों की विस्तृत जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से एवं सूचना अधिकारी के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति द्वारा दी जाये। लोहिया नगर योजना के समीप विकसित हो रही अवैध कालोनी "समर कालोनी" के बिषय में माननीय सदस्य हाजी निजामुद्दीन द्वारा जानकारी दी गयी जिस पर प्रभावी तुरन्त कार्यवाही के निर्देश अध्यक्ष महोदय द्वारा दिये गये।

अनुपालन मद संख्या - 7

प्राधिकरण की परिसम्पत्तियों के पंजीकरण/ आरक्षण, आबंटन, आबंटन परिवर्तन, एकमुश्त अदायगी पर छूट, धन वापसी, पुर्नस्थापना तथा व्यवसायिक भवनों/ भूखण्डों एवं विद्यालय हेतु आरक्षित भूखण्डों के विक्रय की प्रक्रिया संशोधित किया जाना।

अवलोकित किया।

अनुपालन मद संख्या - 8

मेरठ विकास प्राधिकरण में कार्यरत दैनिक वेतन/ वर्कचार्ज कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक दरों में वृद्धि किये जाने तथा भविष्य निधि फण्ड कटौती व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

अवलोकित किया।

अनुपालन मद संख्या - 9

मेरठ विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) (प्रथम संशोधन) उपविधि 1997 में कतिपय शिथिलीकरण हेतु प्रस्ताव।

अवलोकित किया। अधिवक्ता को रिटेनरशिप पर रखे जाने के यथाशीघ्र निस्तारित किये जाने के निर्देश दिये गये।

अनुपालन मद संख्या - 10

ग्राम रैसना के खसरा संख्या 198 से 211 के आवासीय भूउपयोग में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

अवलोकित किया गया।

अनुपालन मद संख्या - 11

रक्षापुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत बसन्त बिहार सहकारी आवास समिति के पक्ष में 13.21 एकड भूमि छोडे जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन अवलोकित किया गया।

अनुपालन मद संख्या - 12

श्रद्धापुरी आवासीय योजना फेज-1 में बर्ष 1988 में आबंटित भूखण्डों के विवादित पाये जाने के फलस्वरुप आबंटियों की रिट याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णयों के क्रम में श्रद्धापुरी आवासीय योजना फेज- प्रथम व द्वितीय में आरक्षित भूखण्डों को पूर्व दर रुपये 440/- प्रति वर्गमीटर से आबंटित किया जाना एवं विवाद अवधि के लिये ब्याज न लिया जाना।

अवलोकित किया।

अनुपालन मद संख्या - 13

श्री रामानन्द गोयाल द्वारा प्रस्तुत मानचित्र संख्या - 248/96 में उपविभाजन शुल्क कम किये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन अवलोकित किया गया।

अनुपालन मद संख्या - 14

औद्योगिक ईकाईयों में फ्रन्ट सैट बैक में वाचमैन के लिये कमरा बनाये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन मद संख्या - 15

रामनगर में नियमित की गयी कालोनी के तलपट मानचित्र में संशोधन के सम्बन्ध में।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन मद संख्या - 16

भवन उपविधि-1994 में व्यवसायिक/कार्यालय व अन्य भवनों के निर्माणों में सैट बैक के संशोधन के सम्बन्ध में।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन मद संख्या - 17

औद्योगिक भवन के निर्माणों के अन्तर्गत एफ० ए० आर० की अनुमन्यता बढाये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन मद संख्या - 18

मेरठ महायोजना - 2001 में "कृषि हरित पटटी" भूउपयोग में कोल्ड स्टोरेज के निर्माण की अनुमति।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन मद संख्या - 19

जिला कमान्डैन्ट, होमगार्डस विभाग को प्राधिकरण कार्यालय भवन में किराये पर स्थान दिया जाना।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन मद संख्या - 20

प्राधिकरण की रक्षापुरम योजना में मेरठ स्टेडियम क्लब को लीज पर आबंटित 1255 वर्गमीटर भूमि के प्रीमियम निर्धारण हेतु।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन मद संख्या - 21

मैसर्स इन्डस वैली प्रमोटर्स लिमिटेड की हर्ष नगर योजना में जब्त की गयी अग्रिम जमानत राशि रु० 5,00,000/- की वापसी के सम्बन्ध में।

अनुपालन अवलोकित किया।

उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण मैसर्स इण्डस वैली प्रमोटर्स लि० के प्रत्यावेदन का निस्तारण अपने स्तर पर सुनिशिचत कर लें।

अनुपालन मद संख्या - 22

बेगम ब्रिज सेन्ट्रल वर्ज पर प्राधिकरण द्वारा विकसित वाटिका/ रेलिंग के रख-रखाव व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु विज्ञापन पट लगाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन मद संख्या - 23

सम्पत्ति अनुभाग, विधि, लेखा, मानचित्र व अन्य अनुभागों से सम्बन्धित अभिलेखों/ सूचनाओं एवं लम्बित प्रकरणों के निस्तारण सम्बन्धित कार्यो का कम्प्यूटराईजेशन कराये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन मद संख्या - 24

श्री रामपाल सिंह, अधिशासी अभियन्ता के डिपेटाईटिस-ई से ग्रस्त होने पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन मद संख्या - 25

इन्टरनेशनल प्रोग्रेसिव एजूकेशन सोसायटी, मेरठ को पल्लवपुरम योजना में हाईस्कूल हेतु आबंटित भूखण्ड का रिफन्ड

व गंगानगर आवासीय योजना में उपलब्ध 8205 वर्गमीटर भूमि हाई स्कूल हेतु आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन मद संख्या - 26

मेरठ विकास प्राधिकरण की पल्लवपुरम, श्रद्धापुरी (प्रथम चरण), श्रद्धापुरी (द्वितीय चरण), सैनिक बिहार एवं डिफैन्स इन्क्लेब आवासीय योजनाओं में आबंटियों के पक्ष में पूर्व आकलित/आबंटित दरों पर ही निबन्धन किया जाना।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन मद संख्या - 28

डा० राममनोहर लोहियानगर आवासीय योजना के सैक्टर-आई में कैंची उद्योग से जुडे हुए उद्यमियों के लिये आवासीय सह कार्यशाला हेतु भूमि की दर निर्धारित किया जाना।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन अनुपूरक मद संख्या - 1

अनियमित कालोलियों के ले-आउट प्लान स्वीकृत करने एवं कालोनियों को नियमित करने के सम्बन्ध में।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन अनुपूरक मद संख्या - 2

विकास प्राधिकरण क्षेत्र में ड्रेनेज (जल निकासी) हेतु अपेक्षित सुधार किये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन अनुपूरक मद संख्या - 3

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पशिचमी उ०प्र० के महाशिविर दिनाँक 20,21 एवं 22 नवम्बर, 98 के आयोजन हेतु गंगानगर योजना में निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन अनुपूरक मद संख्या - 4

पल्लवपुरम आवासीय योजना फेज-2 के अन्तर्गत उच्च आय वर्ग भवन संख्या एम०एच०-6 का श्रीमती पी०बी० यशोदा के पक्ष में किया गया आरक्षण/ सशर्त आबंटन के निरस्तीकरण के फलस्वरुप जमा धनराशि बिना कटौती वापस किया जाना।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन अनुपूरक मद संख्या - 5

आरा मशीन, घरेलू रसोई गैस गोदाम, सरकारी कार्यालय को बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन अनुपूरक मद संख्या - 6

वाहन भत्ते के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन अनुपूरक मद संख्या - 7

श्री रामअवतार, अनुचर मेरठ विकास प्राधिकरण की पत्नी की चिकित्सा में व्यय किये गये धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

अनुपालन अवलोकित किया।

अनुपालन अनुपूरक मद संख्या - 9

मेरठ महायोजना - 2001 में दर्शित रोहटा रोड की प्रस्तावित चौडाई के सम्बन्ध में।

अनुपालन अवलोकित किया।

मद संख्या - 3

प्राधिकरण की आवासीय/व्यवसायिक परिसम्पत्तियों के एक मुश्त भुगतान पर आबंटन की दशा में देय छूट तथा कब्जा हस्तान्तरण की शर्तो में संशोधन किया जाना।

आवासीय एवं व्यवसायिक परिसम्पत्ति के मूल्य का एकमुश्त भुगतान किये जाने के बिषय में वित्तीय संस्थाओं अथवा नियोक्ता से ऋण स्वीकृत होने में लगने वाले समय की स्वाभविकता को देखते हुए बिन्दु संख्या - 1 पर प्रस्तावित संशोधन को अनुमोदित किया गया इसके अनुसार जो आबंटी वर्तमान प्रचलित आबंटन प्रक्रिया के अनुसार अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत आबंटन के समय जमा कराते है और शेष 90 प्रतिशत देय धनराशि एक माह के अन्तर्गत जमा करते हुए कब्जा हस्तान्तरण की वर्तमान निर्धारित समस्त औपचारिकतायें भी पूरी कर लेते हैं उन्हें परिसम्पत्ति के अनुमानित कुल मूल्य का 5 प्रतिशत छूट एवं परिसम्पत्ति का कब्जा एक माह में प्राप्त कर लेने के कारण 2 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी अनुमन्य होगी लेकिन जो आबंटी एक माह के अन्दर परिसम्पत्ति के अनुमानित मूल्य का शत प्रतिशत भुगतान कर देते हैं और कब्जा हस्तान्तरण की औपचारिकतायें पूर्ण नहीं कर पाते ऐसे आबंटियों को मात्र 5 प्रतिशत छूट ही अनुमन्य होगी। बोर्ड ने विश्वास व्यक्त किया कि इस व्यवस्था से एक मुश्त मूल्य अदा करने वाले आबंटियों की संख्या में वृद्धि होगी।

बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखा गया कि परिसम्पत्ति के आबंटन के उपरान्त आवेदक तत्काल मौके पर कब्जा लेना चाहते हैं लेकिन परिसम्पत्ति के आबंटन हेतु प्रचलित भुगतान व्यवस्था के अन्तर्गत आबंटन हेतु प्रारम्भ में 10 प्रतिशत तथा एक माह के अन्दर पुनः 10 प्रतिशत इस प्रकार कुल 20 प्रतिशत धन जमा होने के उपरान्त शेष देय 80 प्रतिशत धनराशि में से प्रथम तीन किश्तों की

धनराशि (अर्थात 30 प्रतिशत) अर्थात कुल मूल्य का 50 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत फ्री होल्ड चार्जेज तथा पानी सीवर संयोजन शुल्क आदि एवं देय 50 प्रतिशत स्टाम्प डयूटी अदा करने पर आबंटी को परिसम्पत्ति का कब्जा हस्तान्तरित किया जाता है । मध्यम आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आबंटियों के लिये यह धनराशि काफी अधिक है जिससे मौके पर आबंटियों के काबिज होने में बिलम्ब हो रहा है और योजनाओं के बसने में बिलम्ब का एक कारण यह भी है ।

बोर्ड ने निर्णय किया कि प्रस्तावित संशोधन जिसके अन्तर्गत आबंटी द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि आबंटन के समय, 10 प्रतिशत धनराशि एक माह के अन्दर अर्थात कुल 20 प्रतिशत धनराशि जमा करने के उपरान्त मात्र 12 प्रतिशत फ्रीहोल्ड चार्जेज, पानी सीवर संयोजन शुल्क तथा तत्समय प्रचलित व्यवस्था अनुसार देय स्टाम्प डयूटी देकर परिसम्पत्ति का कब्जा प्रदान किया जाये, अनुमोदन होने योग्य है अतः तदनुसार अनुमोदित किया जाता है । लेकिन फिलहाल इस संशोधन को 31-3-99 तक लागू रखा जाये और यदि इस बिषय में उत्साहवर्धक परिणाम मिलते हैं तो इस योजना को आगे बढाने के बिषय में विचार किया जायेगा ।

मद संख्या - 4

मेरठ महायोजना में कतिपय मार्गो की निर्धारित/प्रस्तावित चौडाई मे संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में ।

मेरठ महायोजना में प्रस्तावित हापुड मार्ग , गढ मार्ग, ईस्टर्न कचहरी मार्ग एवं रोहटा रोड के इस मद में प्रस्तावित अंशों की चौडाई के प्रस्तावित संशोधन इस सीमा तक स्वीकार कर लिये गये कि यह संशोधन फिलहाल स्वैच्छिक शमन उपविधि/योजना का लाभ इन क्षेत्रों में देने के लिये मान लिये जायें । इन संशोधनों का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है यदि शासन स्तर से बाँछित स्वीकृति यथाप्रस्तावित नहीं मिल पाती है अथवा किसी संशोधन के साथ प्राप्त होती है तो तदनुसार शमित स्वीकृत भाग को निर्माणकर्ता को स्वयं ध्वस्त करना होगा । इस मद में प्रस्तावित संशोधनों का लाभ नये नक्शे पास करने के लिये नहीं दिया जायेगा ।

उपरोक्त प्रस्ताव के साथ श्रीमती राखी त्यागी, सदस्य, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित आवासीय क्षेत्र में "बाजार क्षेत्र" में व्यवसायिक गतिविधियों को अनुमन्य किये जाने के प्रस्ताव के बारे में भी विचार विमर्श किया गया जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा प्रस्ताव पर गठित समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों/सुझावों पर सुनवाई के उपरान्त प्रेषित संस्तुति सहित शासन को स्वीकृत हेतु प्रेषित किया जा चुका है । अत: बाजार क्षेत्र के अन्तर्गत हुए निर्माणों को भी स्वैच्छिक शमन योजना का लाभ उपरोक्तानुसार ही प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया परन्तु नवीन निर्माणों हेतु उक्त प्राविधान लागू नहीं होंगे ।

मद संख्या - 5

मेरठ विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) (द्वितीय संशोधन) उपविधि 1998 को अंगीकार किये जाने के सम्बन्ध में ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि यह उपविधि शासन की विज्ञपित सं०-5116/9-आ-1-98-649-डी०ए०/98 दिनाँक 17-12-98 द्वारा अधिसूचित एवं प्रकाशित की जा चुकी है और प्राधिकरण द्वारा इस योजना को 18-12-98 से लागू कर दिया गया है । यद्यपि इस योजना की स्वीकृति परिचालन प्रक्रिया द्वारा प्राधिकरण बोर्ड द्वारा दी जा चुकी है तथापि बोर्ड द्वारा अवलोकित कर इसको औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया ।

मद संख्या - 6

आरा मशीन, घरेलू रसोई गैस गोदाम, सरकारी कार्यालय को बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव ।

इस बिषय पर रखे गये तीनों प्रस्तावों पर बोर्ड ने सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की और अपेक्षा की प्राधिकरण द्वारा विस्तृत योजना बनाकर पृथक प्रसताव के जरिये अगली बोर्ड बैठक में रखे जायें ।

मद संख्या - 7

डिफैन्स एन्क्लेब योजना में पूर्व में आबंटित भूखण्डों की दर को पुनरीक्षित करने के सम्बन्ध में।

इस सम्बन्ध में रखे गये दोनों प्रस्तावों को बोर्ड ने यथाप्रस्तावित अनुमोदन किया। प्रस्ताव "ब" के सम्बन्ध में यह निर्देश दिये कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनाँक 30-4-97 के क्रम में प्रतिकर की राशि में की गयी वृद्धि पर ब्याज में जो छूट प्रदान की जा रही है उसका समयोजन आबंटियों की अन्तिम किश्तों में किया जाये।

मद संख्या - 8

प्राधिकरण की डिफैन्स एन्क्लेब कालोनी में "फायर स्टेशन" हेतु निर्दिष्ट भूमि को आवासीय भूखण्डों में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव को अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि ले-आउट प्लान परिवर्तित करने के बिषय में शासनादेश की औपचाकिताओं को पूरा करते हुए कार्यवाही की जाये।

मद संख्या - 9

गंगानगर आवासीय योजना के अन्तर्गत फेज-II एवं फेज-III में एफ टाईप, जी० टाईप, सी टाईप एवं दुर्बल आय वर्ग के भवनों को जहाँ है जैसा है के आधार पर विक्रय किये जाने हेतु प्रस्ताव।

प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया लेकिन अपेक्षा की गयी कि प्रत्येक भवन का पृथक - पृथक मूल्यांकन कर लिया जाये तथा तदनुसार विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर "प्रथम आओ- प्रथम पाओ" के सिद्धान्त से भवनों का विक्रय किया जाये।

मद संख्या - 10

खसरा नम्बर 230 रकबा 1005 वर्गगज भूमि स्थित ग्राम नगलाताशी को अर्जन से मुक्त करने हेतु।

बोर्ड ने यह मत व्यक्त किया कि यह प्रस्ताव नियमानुसार सम्भव नहीं है। अतः तदनुसार निरस्त किया गया।

मद संख्या - 11

इन्डियन आयल कारपोरेशन लि० को पेट्रोलियम पाईप लाईन हेतु वेदव्यासपुरी योजना में भूमि आबंटन के सम्बन्ध में।

यथाप्रस्तावित स्वीकृत किया गया।

मद संख्या - 12

मेरठ कालेज द्वारा पश्चिमी कचहरी मार्ग पर व्यवसायिक भवन के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध मे।

यथाप्रस्तावित स्वीकृत किया गया।

मद संख्या - 13

श्री एम०एस०ग्रोवर, आई०एफ०एस० को शताब्दी नगर योजनान्तर्गत सैक्टर-8 में आबंटित भूखण्ड सं०-1/35 के पक्ष में उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि पर ब्याज दिया जाना।

बोर्ड ने विचार विमर्श के बाद निर्णय किया कि प्राधिकरण मे श्री एम०एस०ग्रोवर द्वारा बाँछित धनराशि वापस किये जाने का कोई प्राविधान नहीं है। यदि इस प्रकरण में यह स्वीकृति दी जाती है तो यह एक गलत दृष्टान्त बनेगा अतः श्री ग्रोवर द्वारा बाँछित अनुतोष को अस्वीकृत किया गया।

मद संख्या - 14

प्राधिकरण की लोहिया नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम काजीपुर खसरा नं०- 360 कुल क्षेत्रफल 558-8 बीघा में से

प्रार्थी श्री कटार सिंह पुत्र श्री बाबूराम की 378.12 वर्गगज भूमि के बदले विकास शुल्क लेकर भूमि आबंटित किया जाना।

बैठक में यह बात प्रकाश में आयी कि इस प्रकार का कोई दृष्टान्त जानकारी में नहीं है, साथ ही अर्जन के समय श्री कटार सिंह का कोई निर्माण मौके पर सूचीबद्ध नहीं किया गया था अत: श्री कटार सिंह की यह प्रार्थना कि उसके कुल अभिनिर्णीत क्षेत्रफल 5-3-8 बीघा में से 0-5-0 बीघा भूमि का आधा भाग अर्थात 378.12 वर्गगज भूमि विकास शुल्क लेकर भूमि के बदले भूमि आबंटित कर दी जाये, अस्वीकृत की गयी।

मद संख्या - 15

बेगमपुल के समीप मथुरा पैलेस पर श्री विनोद कुमार व श्री सुवोध कुमार आदि द्वारा प्रथम तल पर कार्यालय भवन के मानचित्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

इस बिषय में विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। विचार विमर्श के उपरान्त स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद संख्या - 16

प्राधिकरण कार्यालय हेतु फोटो स्टेट मशीन क्रय करने के सम्बन्ध में।

यथा प्रस्तावित अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद संख्या - 17

अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव के "क" अंश के बिषय में बोर्ड ने अपेक्षा की कि अधिवक्ता श्री डी०डी० शर्मा एवं श्री पी०डी० शर्मा से रु० 1000/- प्रति वाद फीस के लिये अनुरोध कर लिया जाये। अवशेष प्रस्ताव यथावत स्वीकृत किया गया।

प्रसताव के अंश "ख" के बिषय में अनुमोदन प्रदान करते हुए यह भी अपेक्षा की कि श्री मुरलीधर एडवोकेट जो इस बिषय में एक कुशल अधिवक्ता

है, को भी प्राधिकरण द्वारा नामित करने के लिये प्राधिकरण उक्त अधिवक्ता से सम्पर्क कर लें और तदनुसार कार्यवाही करें ।

मद संख्या - 18

रक्षापुरम आवासीय योजना के अन्तर्गत बसन्त बिहार सहकारी आवास समिति के पक्ष में भूमि छोडे जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड ने अनुमोदन दिया कि जो भूमि धारा-4 की विज्ञप्ति से पूर्व सहकारी समिति द्वारा क्रय कर ली गयी है केवल उसी के 60 प्रतिशत अंश को रु० 355/- प्रति वर्गमीटर की दर से विकास शुल्क जमा कराकर समिति के पक्ष में मुक्त किया जाये । इस प्रकार अम्हेडा आदिपुर के खसरा सं०- 399 एवं 400 की कुल भूमि 33,782 वर्गमीटर के 60 प्रतिशत भाग अर्थात 20270 वर्गमीटर को उपरोक्तानुसार विकास शुल्क जमा कराकर समिति को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी ।

बोर्ड ने विचार व्यक्त किया कि खसरा सं०- 382 और 395 की भूमि शासनादेश दिनाँक 2-6-98 की परिधि में नहीं आती है । अत: इस भूमि को सहकारी समिति को नहीं उपलब्ध कराया जा सकता ।

मद संख्या - 19

श्री अरविन्द सिंह हयांकी, संयुक्त सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण की पत्नी के उपचार में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाना।

यथाप्रस्तावित अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या - 20

श्री मुन्ना, वाहन चालक, मेरठ विकास प्राधिकरण की पत्नी की चिकित्सा में व्यय किये गये धनराशि की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

यथा प्रस्तावित अनुमोदित किया गया ।

मद संख्या - 21

गंगानगर योजना फेज-I के पाकेट "बी" में "जीवन धारा" नामक न्यास को चिकित्सालय हेतु भूमि आबंटन के सम्बन्ध में।

जीवन धारा न्यास को आवासीय सैक्टर दर रु० 900/- प्रति वर्गमीटर के 35 प्रतिशत पर भूमि न्यास को उपलब्ध करायी जाने की न्यास की प्रार्थना को अस्वीकृत किया गया और यह अपेक्षा की गयी कि गंगानगर फेज-I पाकेट-बी में उपलब्ध लगभग 1600 वर्गमीटर भूमि जो हैल्थ सेन्टर हेतु आरक्षित है उसकी नियमानुसार व्यवसायिक भूखण्डों के निस्तारण की प्रक्रिया के अनुसार पहले खुली नीलामी की जाये यदि समुचित नीलामी प्रक्रिया उपरानत कोई बोली प्राप्त नहीं होती है तो व्यवसायिक भूखण्डों की विक्रय की प्रक्रिया के अनुसार इस भूखण्ड का निस्तारण किये जाने के लिये प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा जाये।

अनुपूरक मद संख्या - 1

मेरठ महायोजना - 2001 में निर्दिष्ट "कृषि हरित पट्टी" भूउपयोग के अन्तर्गत कोल्ड स्टोरेज" के निर्माणकी स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड ने अनुमोदन प्रदान किया कि मेसर्स जय कोल्ड स्टोरेज का मानचित्र नियमानुसार पास कर दिया जाये।

अनुपूरक मद संख्या - 2

डा० अमरजीत सिंह जग्गी को पल्लवपुरम आवासीय योजना, फेज-द्वितीय के अन्तर्गत आबंटित उच्च आय वर्ग भवन संख्या - एम०एच०/78 का मूल्य बर्ष - 1988 में निर्धारित दर पर लिये जाने के सम्बन्ध में।

समुचित विचार विमर्श के उपरान्त बोर्ड ने निर्देश दिये कि प्रस्तावित दोनों विकल्पों को आबंटी डा० अमरजीत सिंह जग्गी को विधिवत सूचित किया जाये और यदि वे किसी बात पर सहमत नहीं होते है तो उनके द्वारा जमा

की गयी धनराशि रु० 10000/- को प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार सब्याज वापस कर दिया जाये ।

प्राधिकरण कार्यालय द्वारा अपनायी गयी त्रुटिपूर्ण कार्य प्रणाली पर अध्यक्ष महोदय ने असन्तोष प्रकट करते हुए निर्देश दिये कि इस प्रकरण में दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये और तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही करते हुए अगली बोर्ड बैठक में सूचित किया जाये ।

अनुपूरक मद संख्या - 3

प्राधिकरण की आवासीय योजना में रिक्त सम्पत्ति/ निरस्तीकरण के फलस्वरुप उपलब्ध विकसित आवासीय भूखण्डों के मूल्य निर्धारण के सम्बन्ध में ।

भूखण्डों की प्रचलित दरों को दिनाँक 31-3-99 तक के लिये अनुमोदित किया गया ।

ह०/-	ह०/-
सचिव	उपाध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण	मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ ।	मेरठ ।

ह०/-
अध्यक्ष
मेरठ विकास प्राधिकरण
मेरठ ।